

# कार्यालय, नगरीय निकाय निदेशालय

प्लाट नं 0-18, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ

e-mail: diruplb@gmail.com, website: www.localbodies.co.in

पत्र संख्या— २०७/१२/०८८८ / २०२१-२२

दिनांक: ३१, अगस्त, २०२१

सेवा में,

- 1 प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तर प्रदेश जल निगम,  
लखनऊ।
2. सदस्य सचिव,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।
- 3 निदेशक,  
नगरीय निकाय, निदेशालय,  
लखनऊ।
4. सहायक निदेशक, लेखा,  
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,  
लखनऊ।

महोदय / महोदया,

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या—शासनादेश संख्या—5483 / नौ—५—२०१७— ४४७सा / २०१७ दिनांक १२.०२.२०१८ द्वारा कुल ०४ जोन— लखनऊ, गोरखपुर (गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर), आगरा एवं गाजियाबाद (गाजियाबाद, पिलखुआ, लोनी, अनूपशहर, विजनौर, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर) हेतु वन सिटी—वन आपरेटर सिद्धान्त पर सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस.टी.पी.) व इससे जुड़े इनकास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक (१० वर्ष) के संचालन, रख—रखाव एवं प्रबन्धन की व्यवस्था की गयी है।

२. उक्त कार्य के लिए आबद्ध फर्म को कार्य/सेवाओं के सापेक्ष प्रस्तुत Payment Certificate/Bill के भुगतान एवं सेटेलमेन्ट की संस्तुति हेतु शासनादेश संख्या—५०४ / नौ—५—२०२०—३९४सा / २०१८ दिनांक ०३.०२.२०२० द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की गयी है।

१	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
२	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
३	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
४	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उ०प्र०	सदस्य—सचिव
५	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
६	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य

३. लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा एवं गोरखपुर जोन के लिए एजेंडा—वार फर्म द्वारा कराये गये कार्यों एवं प्रदान की गयी सेवाओं के सापेक्ष जल निगम से प्राप्त प्रमाणित विलों पर निर्णय लेने हेतु उपरोक्तानुसार गठित समिति की बैठक अपर प्रमुख सचिव, नगर विकास, की अध्यक्षता में दिनांक १६.०८.२०२१ को अपराह्न ०३:३० बजे स्थानीय निकाय निदेशालय के पंचम तल पर स्थित सभागार में आहूत की गयी थी। अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अनुमोदित आहूत बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(मनीष कुमार सिंह)  
सदस्य—सचिव/मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि—

१. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, को महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
२. विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग—९, उ०प्र० लखनऊ।
३. मुख्य अभियन्ता (लखनऊ/गाजियाबाद/आगरा/गोरखपुर क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम।
४. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
५. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा एवं गाजियाबाद।
६. महाप्रबन्धक, जल कल विभाग (नगर निगम), लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या एवं गाजियाबाद एवं अन्य संबंधित शहर।
७. अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर एवं अयोध्या।

१ सदस्य—सचिव/मुख्य अभियन्ता

१ ३१-०८-२०२१

संख्या : 207/2/OM&M/2021-22  
दिनांक : ३१/०८/२०२१

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में एस0टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) की दिनांक 16.08.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश में स्थापित एस0टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) हेतु नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-2319 / नौ-5-2019-394सा/2018 दिनांक 11.06.2019 द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, तदनुसार सम्बन्धित फर्मों के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया गया। शासनादेश संख्या-849 / नौ-9-19-89ज/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा मूल बजट रु० 250.00 करोड़ एवं शासनादेश संख्या-2748 / नौ-9-20-89ज/2001, दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरक्षित बजट रु० 350.00 करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी हैं। उ०प्र० जल निगम को उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर निर्णय लेने हेतु नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-504 / नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की हैं।

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
4	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
5	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
6	मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव

उक्त समिति की बैठक अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 16.08.2021 को सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया (उपस्थिति पंजिका/संलग्नक-1)

सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया (संलग्नक-2) एवं एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा निम्नवत् है:

#### एजेण्डा-(i)

महाप्रबन्धक, गो०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-1054 / AC-6/40 दिनांक 26.04.2021, पत्र संख्या-1055 / AC-6/41 दिनांक 26.04.2021, पत्र संख्या-1382 / AC-6/47 दिनांक 24.06.2021, पत्र संख्या-1476 / AC-6/48 दिनांक 05.07.2021 एवं पत्र संख्या 1551 / डब्ल्यू-29 / 341 दिनांक 12.07.2021 द्वारा लखनऊ जोन, पैकेज-4 के लिए फरवरी (अवशेष), मार्च (अवशेष), अप्रैल, मई, एवं जून-2021 हेतु फर्म M/s SUEZ India Pvt. Ltd. द्वारा लखनऊ जोन में प्रदान की गयी सेवाएं एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल जमा किया गया है (संलग्नक-3) जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र० सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रुपये में)	टिप्पणी
1	16 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- February 2021	रु0 8,23,07,752.44 (फर्म को भुगतान रु0 67262212.00 + जीएसटी रु0 80,71,465.44 + डीजल रु0 1,92,685.00) + 10 % सेन्टेज रु0 67,81,390.00	अनुबन्ध के तहत दिनांक 28.04.2021 को सम्पन्न बैठक में Adhoc Payment (75%) जल निगम को भुगतान हेतु स्वीकृत / आवंटित किया जा चुका है तथा अवशेष भुगतान किया जाना है।
2	17 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- March 2021	रु0 8,33,28,182.00 (फर्म को भुगतान रु0 67813900.00 + जीएसटी रु0 8137668.00 + डीजल रु0 5,95,224.00) + 10 % सेन्टेज रु0 67,81,390.00	
3	18 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- April 2021	रु0 8,33,10,782.00 (फर्म को भुगतान रु0 67813900.00 + जीएसटी रु0 8,137,668.00 + डीजल रु0 5,77,824.00) + 10 % सेन्टेज रु0 67,81,390.00	जल निगम को भुगतान हेतु स्वीकृति वांछित है।
4	19 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- May 2021	रु0 7,98,38,389.67 (फर्म को भुगतान रु0 64434699.71 + जीएसटी रु0 7732163.96 + डीजल रु0 890135.00) + 10 % सेन्टेज रु0 67,81,390.00	
5	20 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill-June 2021	रु0 8,35,40,105.00 (फर्म को भुगतान रु0 67742900.00 + जीएसटी रु0 8,129,148.00 + डीजल रु0 886667.00) + 10 % सेन्टेज रु0 67,81,390.00	

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिलों का ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

महाप्रबन्धक, गोप्रोनिइकाई, उप्रो जल निगम, लखनऊ एवं परियोजना प्रबन्धक, गोप्रोनिइकाई, उप्रो जल निगम, लखनऊ द्वारा फरवरी (अवशेष), मार्च (अवशेष), अप्रैल, मई एवं जून-2021 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उप्रो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा बिल जमा किया गया है।

निवेशालय में गठित ओ0एम0एण्डएम0 सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, गोप्रोनिइकाई, उप्रो जल निगम, लखनऊ द्वारा फरवरी (अवशेष), मार्च (अवशेष), अप्रैल, मई एवं जून-2021 के पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का परीक्षण अनुबन्ध की क्लाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस0टी0पी0 वाईज क्वांटिटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है (संलग्नक-4)। लखनऊ जोन में स्थित कुल 3 एस0टी0पी0 का ट्रीटेड सीवेज फरवरी-2021 से जून-2021 तक क्वांटिटी एवं क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 345 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0, भरवारा - सी0ओ0डी0-5 बार, टी0एस0एस0-1 बार एवं FC - 11 बार
- 42 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0, दौलतगंज - सी0ओ0डी0-6 बार, टी0एस0एस0-2 बार एवं FC - 21 बार
- 14 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0, दौलतगंज - सी0ओ0डी0-6 बार, टी0एस0एस0-2 बार एवं FC - 27 बार

*b*

*B*

*u*

*hi*

*Z*

लखनऊ जोन के 3 एस0टी0पी0 में की गयी क्वालिटी एवं क्वांटिटी के सापेक्ष की गयी कटौतियाँ का विवरण निम्नवत् हैं:-

माह	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	मोबिलाईजेशन एडवांइस हेतु कटौती	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 की कुल कटौती	कुल कटौतियाँ (मोबिलाईजेशन एडवांइस, क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 सहित)
1	2	3	4	5 = (3+4)
<b>लखनऊ जोन</b>				
फरवरी 2021(अवशेष)	82307752.44	6458466.67	4793771.66	11252238.33
मार्च 2021 (अवशेष)	83328182.00	6458466.67	2217764.27	8676230.94
अप्रैल 2021	83310782.00	6458466.67	1814827.69	8273294.36
मई 2021	79838388.67	6458466.67	2559100.32	9017566.99
जून 2021	83540105.00	6458466.67	1881806.66	8340273.33
योग	<b>412325210.11</b>	<b>32292333.35</b>	<b>13267270.60</b>	<b>45559603.95</b>

सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-34 के अनुसार मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0लि0 को मोबलाइजेशन एडवांस (अनुबंध की वार्षिक धनराशि का 10 प्रतिशत) रु 7,75,01,600.00 (रु0 सात करोड़ पचहत्तर लाख एक हजार छ: सौ मात्र) भुगतान किया गया है जिसकी 12 किश्तों के सापेक्ष 6<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup>, 8<sup>th</sup> किश्त की देयता अप्रैल, मई व जून-2021 से है। इसकी कटौती जल निगम द्वारा अप्रैल, मई व जून-2021 के बिल से की जानी थी परन्तु जल निगम द्वारा कटौती न किये जाने के कारण प्रतिमाह रु 64,58,466.67 की अप्रैल, मई व जून-2021 के बिल में अर्थात् कुल रु 3,22,92,333.35 एवं क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 की कुल कटौती रु 0 1,32,67,270.60 अर्थात् कुल रु 4,55,59,603.95 की कटौती ओएमएण्डएम सेल द्वारा की गयी हैं।

सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष रु 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन के उपरान्त) अपने देयकों से प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा 01 नवम्बर, 2019 से 30 जून, 2021 तक वांछित धनराशि रु. 11,90,00,000.00 (रु0 ग्यारह करोड़ नब्बे लाख मात्र) में से मात्र रु. 5,00,00,000.00 (रु0 पाँच करोड़) जमा किये जाने के कारण शेष धनराशि जमा किये जाने हेतु फर्म को नोटिस भी जारी की गयी है, अर्थात् फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउन्ट में रु 6,90,00,000.00 (रु0 छ: करोड़ नब्बे लाख) जमा किया जाना अवशेष है।

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त ओ0एम0 एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा निम्न विवरण के अनुसार उ0प्र0 जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की जाती है:

क्र. सं.	विवरण	16 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- Feb 2021 (Balance Amount)	17 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- March 2021 (Balance Amount)	18 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- April 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 6458466.67)	19 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- May, 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 6458466.67)	20 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- June, 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 6458466.67)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष आवंटित की जाने वाली धनराशि	14096093.82	16300277.71	61032511.19	57320234.98	60912430.05
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	1691531.26	1956033.32	7323901.33	6878428.20	7309491.61
3.	प्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	0.00	577824.00	890135.00	886667.00
4.	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टर / सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	1409609.39	1630027.77	6103251.12	5732023.50	6091243.01

5.	योग (1+2+3+4)	17197234.47	19886338.80	75037487.64	70820821.68	75199831.67
6.	उ0प्र0 जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि				25,81,41,714.26	
7.	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउन्ट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण				6,90,00,000.00	

सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष रु 25,81,41,714.26 (रु० पच्चीस करोड़ इक्यासील लाख इक्तालीस हजार सात सौ छौदह व पैसे छब्बीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिलेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जून-21 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 6,90,00,000.00 (रु० छः करोड़ नब्बे लाख) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउन्ट में अंतरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा की जाती है।

**समिति का निर्णय:-** मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा उपरोक्तानुसार समिति के समक्ष की गयी संस्तुति के क्रम में पैकेज-4, लखनऊ जोन हेतु कुल धनराशि रु० 25,81,41,714.26 (रु० पच्चीस करोड़ इक्यासी लाख इक्तालीस हजार सात सौ छौदह व पैसे छब्बीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिलेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जून-21 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 6,90,00,000.00 (रु० छः करोड़ नब्बे लाख) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउन्ट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी। ट्रीटेड सीवेज की क्वालिटी कई बार निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्त न होने के दृष्टिगत समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था द्वारा एस०टी०पी० के संचालन निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जाये। (कार्यवाही— मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम० / उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 जल निगम)

### एजेण्डा-(ii)

महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा के पत्र संख्या- 2283 / Payment O&M VATech Wabag/51 दिनांक 14.10.2020, पत्र संख्या-1203 / Payment O/M VATech Wabag/34 दिनांक 25.05.2021, 1205 / Payment O/M VATech Wabag/35 दिनांक 25.05.2021, पत्र संख्या-1528 / Payment O/M VATech Wabag/53 दिनांक 12.07.2021 एवं पत्र संख्या-1672 / Payment O/M VATech Wabag/56 दिनांक 28.07.2021 द्वारा क्रमशः माह दिसम्बर-2019 व जनवरी-2020 (पुनरीक्षित), मार्च, 2021, अप्रैल 2021, मई-2021 व जून-2021 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल जमा किया गया है (संलग्नक-5) जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र0 सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रुपये में)	टिप्पणी
1	1 <sup>st</sup> Payment Certificate / Bill - Dec, 2019	रु० 3026709.30 (फर्म को भुगतान रु० 12757055.94 + जी०एस०टी०रु० 1530846.71 + 10 % सेन्टेज 1275705.59)- Already Released Rs. 1161553.00 + LD Rs. 926345.95	अनुबन्ध के तहत दिनांक 16.03.2021 को सम्पन्न बैठक में जल निगम को आवंटित किया जा चुका है। पुनरीक्षित बिल माह दिसम्बर, 2019 व जनवरी-2020 का प्रस्तुत किया गया।
2	2 <sup>nd</sup> Payment Certificate / Bill - Jan, 2020	रु० 14030861.78 (फर्म को भुगतान रु० 31131591.83 + जी०एस०टी०रु० 3735791.02 + 10 % सेन्टेज 3113159.18) - Already Released Rs. 21977692.00 + LD Rs. 1971988.25	
3	16 <sup>th</sup> Payment Certificate / Bill - March, 2021	रु० 32574956.28 (फर्म को भुगतान रु० 26700783.84 + जी०एस०टी०रु० 3204094.06 + 10 % सेन्टेज 2670078.38)	जल निगम को भुगतान हेतु स्वीकृति वांछित है।

3	17 <sup>th</sup> Payment Certificate / Bill -April, 2021	रु0 31759484.80 (फर्म को भुगतान रु0 26032364.59 + जी0एस0टी0 रु0 3123883.75 + 10 % सेन्टेज रु0 2603236.46)	
4	18 <sup>th</sup> Payment Certificate / Bill -May, 2021	रु0 2,89,92,199.61 (फर्म को भुगतान रु0 23764098.04 + जी0एस0टी0 रु0 2851691.77 + 10 % सेन्टेज रु0 2376409.80)	
5	19 <sup>th</sup> Payment Certificate / Bill -June, 2021	रु0 3,28,57,916.89 (फर्म को भुगतान रु0 26932718.76 + जी0एस0टी0 रु0 3231926.25 + 10 % सेन्टेज रु0 2693271.88)	

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिलों का ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् हैः—

महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा एवं परियोजना प्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा दिसम्बर-2019 (पुनरीक्षित), जनवरी-2020 (पुनरीक्षित), मार्च-21, अप्रैल, मई व जून-2021 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल प्रमाणित कर प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा बिल प्रस्तुत की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ0एम0एण्डएम0 सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा प्रेषित दिसम्बर-2019 (पुनरीक्षित), जनवरी-2021 (पुनरीक्षित), मार्च, अप्रैल, मई व जून-2021 का परीक्षण किया गया तथा निष्पादित अनुबंध के क्लाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस0टी0पी0 वाईज क्वांटिटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है (संलग्नक-6)। आगरा जोन में स्थित कुल 7 एस0टी0पी0 का ट्रीटेड सीवेज दिसम्बर-2019 व जनवरी-2020, मार्च-2021 से जून-2021 तक क्वांटिटी एवं क्वालिटी हेतु निधारित मानक के सापेक्ष निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 78 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, धांधूपुरा – बी0ओ0डी0-1 बार, टी0एस0एस0-45 बार
- 10 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, पिलाखार – बी0ओ0डी0-73 बार, सी0ओ0डी0-15 बार, टी0एस0एस0-71 बार
- 2.25 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बुड़ी का नगला – बी0ओ0डी0-49 बार, सी0ओ0डी0-2 बार, टी0एस0एस0-67 बार
- 14 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जगनपुर – टी0एस0एस0-58 बार, FC- 48 बार,
- 12 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, देवीरोड़ – बी0ओ0डी0-1 बार, टी0एस0एस0-47 बार, FC- 48 बार,
- 40 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, विचपुरी – टी0एस0एस0-47 बार, FC- 48 बार,
- 24 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 धांधूपुरा – टी0एस0एस0-48 बार, FC- 49 बार,

आगरा जोन के 7 नग एस0टी0पी0 में की गयी क्वालिटी एवं क्वांटिटी के सापेक्ष की गयी कटौतियाँ का विवरण निम्नवत् हैः—

माह	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	मोबिलाइजेशन एडवांइस हेतु कटौती	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 की कुल कटौती	कुल कटौतियाँ (मोबिलाइजेशन एडवांइस, क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 सहित
1	2	3	4	5 = (3+4)
<b>आगरा जोन</b>				
दिसम्बर 2019 (पुनरीक्षित)	3026709.30	0.00	2196680.49	2196680.49
जनवरी 2020 (पुनरीक्षित)	14030861.78	0.00	4808166.22	4808166.22
मार्च 2021*	32574956.28	0.00	4551196.42	4551196.42

अप्रैल 2021 *	31759484.80	0.00	6128604.68	6128604.68
मई 2021 *	28992199.61	0.00	3567061.04	3567061.04
जून 2021 *	32857916.89	0.00	5271042.97	5271042.97
योग	143242128.66	0.00	26522751.82	26522751.82

नोट\*- उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रेषित बिलों में मोबिलाईजेशन एडवांस की धनराशि रु0 4284029.00 प्रतिमाह (कुल 10 माह की किश्तों में) कटौती की गयी है जबकि ३०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा रु0 3570024.17 प्रतिमाह (अनुबंध की शर्त के अनुसार 12 माह की किश्तों में) की कटौती की गयी है।

सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-34 के अनुसार मेसर्स VA Tech Wabag को मोबिलाईजेशन एडवांस (अनुबंध की वार्षिक धनराशि का 10 प्रतिशत) रु0 4,28,40,290.00 (रु0 चार करोड़ अठाइस लाख चालीस हजार दो सौ नब्बे मात्र) भुगतान किया गया है जिसकी 12 किश्तों के सापेक्ष 4<sup>th</sup>, 5<sup>th</sup>, 6<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup> किश्त की देयता मार्च, अप्रैल, मई व जून-2021 से है। इसकी कटौती जल निगम द्वारा मार्च, अप्रैल, मई व जून-2021 के बिल से प्रतिमाह रु0 4284029.00 की कटौती की गयी हैं जबकि प्रतिमाह रु0 3570024.17 की कटौती करनी थी। तदानुसार प्रतिमाह रु0 3570024.17 (रु0 पैंतीस लाख सत्तर हजार चौबीस व पैसे सतरह मात्र) की मार्च, अप्रैल, मई व जून-2021 के बिल में अर्थात् ३०एमएण्डएम सेल द्वारा की गयी हैं। क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 की कुल कटौती रु0 2,65,22,751.82 ३०एमएण्डएम सेल द्वारा की गयी है।

सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष रु0 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन के उपरान्त) अपने देयकों से प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा 15 दिसम्बर, 2019 से 30.06.2021 तक की वांछित धनराशि रु0 10,99,11,290.32 (रु0 दस करोड़ निन्यानवे लाख ग्यारह हजार दो सौ नब्बे व पैसे बतीस मात्र) में से मात्र रु0 8,51,77,424.00 (रु0 आठ करोड़ इक्यावन लाख सतहतर हजार चार सौ चौबीस मात्र) जमा किया गया, अर्थात् फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउन्ट में रु0 2,47,33,866.32 (रु0 दो करोड़ सैतालीस लाख तैनीस हजार आठ सौ छाँचठ व पैसे बतीस मात्र) जमा किया जाना अवशेष है।

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त ३०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा निम्न विवरण के अनुसार उ0प्र0 जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की जाती है:

क्र. स.	विवरण	1 <sup>st</sup> Payment Certificate/Bill- Dec 2019 (Balance Amount)	2 <sup>nd</sup> Payment Certificate/Bill- Jan 2020 (Balance Amount)	16 <sup>th</sup> Payment Certificate/Bill - March, 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 3570024.17)	17 <sup>th</sup> Payment Certificate/Bill - April, 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 3570024.17)	18 <sup>th</sup> Payment Certificate/Bill - May, 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 3570024.17)	19 <sup>th</sup> Payment Certificate/Bill - June, 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 3570024.17)
1.	पेमेन्ट स्टिफिकेट /बिल के सापेक्ष आवंटित की जाने वाली धनराशि	687201.48	7636570.95	22970294.96	21008918.13	20840277.52	22612191.74
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	82464.18	916388.51	2756435.40	2521070.18	2500833.30	2713463.01
3.	फ्यूल चार्जेस (As per actual certified by UPJN)	(-) 8357.00	(-) 93921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	उ0प्र0 जल निगम को देय सेट्टेज /सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	68720.15	763657.10	2297029.50	2100891.81	2084027.75	2261219.17
5.	योग	830028.81	9222695.56	28023759.86	25630880.12	25425138.57	27586873.92
6.	उ0प्र0 जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि				11,67,19,376.84		
7.	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउन्ट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण				2,47,33,866.32		

सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष रु0 11,67,19,376.84 (रु0 ग्यारह करोड़ सड़सठ लाख उन्नीस हजार तीन सौ छिहतर व पैसे चौरासी मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को आवंटित करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जून-21 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 2,47,33,866.32 (रु0 दो करोड़ सैतालीस लाख तैनीस हजार आठ सौ छाँठ व पैसे बतीस मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउन्ट में अंतरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा की जाती है।

**समिति का निर्णय:-** मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा उपरोक्तानुसार समिति के समक्ष की गयी संस्तुति के क्रम में आगरा जोन हेतु कुल धनराशि रु0 11,67,19,376.84 (रु0 ग्यारह करोड़ सड़सठ लाख उन्नीस हजार तीन सौ छिहतर व पैसे चौरासी मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जून-21 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 2,47,33,866.32 (रु0 दो करोड़ सैतालीस लाख तैनीस हजार आठ सौ छाँठ व पैसे बतीस मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउन्ट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी। ट्रीटेड सीवेज की क्वालिटी कई बार निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्त न होने के दृष्टिगत समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था द्वारा एस0टी0पी0 के संचालन निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जाये।

(कार्यवाही— मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0एण्ड एम0 / उ0प्र0 शासन / उ0प्र0 जल निगम)

### एजेण्डा—(iii)

महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या— 908 / वन सिटी वन आपरेटर/503 दिनांक 13.05.2021, पत्र संख्या—910 / वन सिटी वन आपरेटर/505 दिनांक 13.05.2021, पत्र संख्या—909 / वन सिटी वन आपरेटर/504 दिनांक 13.05.2021, पत्र संख्या— 933 / वन सिटी वन आपरेटर/186 दिनांक 25.05.2021, पत्र संख्या—1388 / वन सिटी वन आपरेटर/251 दिनांक 12.07.2021 एवं पत्र संख्या—1552 / वन सिटी वन ऑपरेटर/279 दिनांक 15.08.2021 द्वारा माह दिसम्बर—2020 व जनवरी—2021 (अवशेष), फरवरी 2021, मार्च 2021, अप्रैल 2021, मई 2021 एवं जून 2021 हेतु फर्म मेसर्स VA Tech Wabag Limited द्वारा गाजियाबाद जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल जमा किया गया है (संलग्नक-7) जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र0 सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल की धनराशि, (रुपये में)	टिप्पणी
<b>गाजियाबाद जोन</b> (गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, लोनी, मुज्जफरनगर, रामपुर, बिजनौर, पिलखुआ, अनूपशहर)			
1	13th Payment Certificate /Bill- Dec, 2020	रु0 6,65,73,335.20 (फर्म को भुगतान रु0 5,38,72,748.67 + जीएसटी रु0 64,64,729.84 + डीजल रु0 8,48,581.82) 10% सेन्टेज रु0 53,87,274.87)	अनुबन्ध के तहत दिनांक 28.04.2021 को सम्पन्न बैठक में Adhoc Payment (75 %) जल निगम को आवंटित किया जा चुका है तथा अवशेष भुगतान किया जाना है।
2	14th Payment Certificate /Bill- January, 2021	रु0 7,36,46,143.22 (फर्म को भुगतान रु0 5,97,53,657.55 + जीएसटी रु0 71,70,438.91 + डीजल रु0 7,46,681.00) 10% सेन्टेज रु0 59,75,365.76)	
3	15th Payment Certificate /Bill- February, 2021	रु0 8,13,54,042.61 (फर्म को भुगतान रु0 6,59,80,397.78 + जीएसटी रु0 79,17,647.73 + डीजल रु0 8,57,957.32) 10% सेन्टेज रु0 65,98,039.78)	जल निगम को भुगतान हेतु स्वीकृति वांछित है।

42

B

4  
8

Z

4	16th Payment Certificate /Bill-March, 2021	रु0 8,40,40,908.01 (फर्म को भुगतान रु0 6,80,16,819.30 + जीएसटी रु0 81,62,018.32 + डीजल रु0 10,60,388.46) + 10% सेन्टेज रु0 68,01,681.93)
5	17th Payment Certificate /Bill-April, 2021	रु0 8,41,33,087.36 (फर्म को भुगतान रु0 6,83,11,669.64 + जीएसटी रु0 8197400.36 + डीजल रु0 792850.40) + 10% सेन्टेज रु0 6831166.96)
6	18th Payment Certificate /Bill-May, 2021	रु0 8,32,23,612.15 (फर्म को भुगतान रु0 6,73,02,303.40 + जीएसटी रु0 80,76,276.41 + डीजल रु0 11,14,802.00) + 10% सेन्टेज रु0 6730230.34)

उक्त पेमेंट सर्टिफिकेट / बिलों का ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद एवं परियोजना प्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा दिसम्बर-2020 (अवशेष), जनवरी-2021 (अवशेष), फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई व जून-2021 के सत्यापित पेमेंट सर्टिफिकेट / बिल प्रमाणित प्रेषित किये गये हैं प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.वी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा बिल प्रस्तुत है।

निदेशालय में गठित ओ0एम0एण्डएम0 सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित दिसम्बर-2020 (अवशेष), जनवरी-2021 (अवशेष), फरवरी, मार्च, अप्रैल, व मई – 2021 का परीक्षण किया गया तथा निष्पादित अनुबंध के व्लाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस0टी0पी0 वाईज क्वांटिटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है (संलग्नक-8) एवं बैठक में फर्म के अनुरोध पर जल निगम द्वारा प्रेषित जून-21 का सत्यापित बिल की अनुबंध के सेक्शन-6 व्लॉज-6.6 के पेमेंट प्रोसीजर के क्रम में 75 प्रतिशत धनराशि (संलग्नक-9) की संस्तुति की जाती है। गाजियाबाद जोन में स्थित कुल 15 नग एस0टी0पी0 का ट्रीटेड सीवेज दिसम्बर-2020 से मई-2021 तक क्वांटिटी एवं क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, इन्दिरापुरम-बी0ओ0डी0-1 बार, सी0ओ0डी0-1 बार, टी0एस0एस0-8 बार, FC-139
- 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, इन्दिरापुरम – बी0ओ0डी0-1 बार, FC-109
- 70 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, ढूँडाहेड़ा – FC-109
- 56एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, ढूँडाहेड़ा – FC-151
- 3 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, पिलखुआ – FC-44
- 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, लोनी – बी0ओ0डी0-2 बार, FC-31
- 72 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, मेरठ – बी0ओ0डी0-40 बार, सी0ओ0डी0-41 बार, टी0एस0एस0-34 बार, FC-1
- 38 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, सहारनपुर – टी0एस0एस0-20 बार, FC-3
- 32.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, मुजफ्फरनगर-बी0ओ0डी0-2बार, सी0ओ0डी0-13बार, टी0एस0एस0-3बार,FC-151
- 0.81 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बुलंदशहर-बी0ओ0डी0-1 बार, FC-151
- 1.76 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बुलंदशहर –बी0ओ0डी0-1बार, सी0ओ0डी0-29बार,टी0एस0एस0-17 बार, FC-151
- 15 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, रामपुर – FC-151
- 14 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, रामपुर –टी0एस0एस0-2, FC-1
- 5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, रामपुर – टी0एस0एस0-5
- 24 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बिजनौर – टी0एस0एस0-44, FC-31

गाजियाबाद जोन के 15 नग एस0टी0पी0 में की गयी क्वालिटी एवं क्वांटिटी के सापेक्ष की गयी कटौतियाँ का विवरण निम्नवत हैः-

माह	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	मोबिलाइजेशन एडवांइस हेतु कटौती	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 की कुल कटौती	कुल कटौतियाँ (मोबिलाइजेशन एडवांइस, क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 सहित)
1	2	3	4	5 = (3+4)
<b>गाजियाबाद जोन</b>				
दिसम्बर 2020 (अवशेष)**	6657335.20	0.00	0.00	-
जनवरी 2021 (अवशेष) *	73646143.22	0.00	62673869.49	62673869.49
फरवरी 2021 *	81354024.61	0.00	4845245.20	4845245.20
मार्च 2021 *	84040908.01	0.00	7176158.33	7176158.33
अप्रैल 2021 *	84133087.36	0.00	5863920.98	5863920.98
मई 2021 *	83223612.15	0.00	2632238.61	2632238.61
जून 2021 (आंशिक) *	86499391.52	0.00	25356814.59	25356814.59
<b>योग</b>	<b>499554502.07</b>	<b>0.00</b>	<b>108548247.20</b>	<b>108548247.20</b>

नोट\*\* - दिसम्बर-2020 के बिल में ₹0 1.60 करोड़ की धनराशि आवंटित करने हेतु जल निगम द्वारा अनुरोध किया गया है जिसे वर्तमान में सम्मिलित नहीं किया गया है।

\*\* - उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रेषित बिलों में प्रतिमाह मोबिलाइजेशन एडवांस की धनराशि ₹0 8744016.17 की कटौती की गयी है।

सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या 908/वन सिटी वन आपरेटर/503 दिनांक 13.05.2021 द्वारा माह दिसम्बर-2020 के पुनरीक्षित बिल में वर्णित बिन्दु-C "Release of Payment of Sewer Network against additional deduction of sewer network in RA Bill-1,2,3 & 4" के अनुसार ₹0 16088207.82 की धनराशि को प्रस्तुत बिल के परीक्षण में ₹0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा अभी विचार नहीं किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-34 के अनुसार मेसर्स VA Tech Wabag को मोबिलाइजेशन एडवांस (अनुबंध की वार्षिक धनराशि का 10 प्रतिशत) ₹0 104928195.00 (₹0 दस करोड़ उनचास लाख अट्ठाइस हजार एक सौ पन्द्रानवे) भुगतान किया गया है जिसकी 12 किश्तों के सापेक्ष 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup>, 5<sup>th</sup>, 6<sup>th</sup> & 7<sup>th</sup> (आंशिक) किश्त की देयता फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई व जून-2021 से है। इसकी कटौती जल निगम द्वारा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई व जून-2021 के बिल से प्रतिमाह ₹0 8744016.17 की कटौती की गयी हैं। क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 की कुल कटौती ₹0 10,85,48,247.20 ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा की गयी हैं।

सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष ₹0 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन के उपरान्त) अपने देयकों से प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा वांछित धनराशि ₹0 10,83,80,040.32 (₹0 दस करोड़ तिरासी लाख अस्सी हजार चालीस व पैसे बतीस मात्र) में से मात्र ₹0 7,92,86,040.00 (₹0 सात करोड़ बानवे लाख छियासी हजार चालीस मात्र) जमा किया गया, अर्थात् फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउन्ट में ₹0 2,90,94,000.32 (₹0 दो करोड़ नब्बे लाख चौरानवे हजार व पैसे बतीस मात्र) जमा किया जाना अवशेष है।

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त ₹0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा निम्न विवरण के अनुसार उ0प्र0 जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की जाती है:

क्र. स.	विवरण	13 <sup>th</sup> Payment Certificate /Bill- Dec- 2020	14 <sup>th</sup> Payment Certificate /Bill- Jan- 2021	15 <sup>th</sup> Payment Certificate /Bill- Feb- 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 8744016.71)	16 <sup>th</sup> Payment Certificate /Bill- Mar- 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 8744016.71)	17 <sup>th</sup> Payment Certificate /Bill- Apr- 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 8744016.71)	18 <sup>th</sup> Payment Certificate /Bill- May- 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 8744016.71)	19 <sup>th</sup> Payment Certificate /Bill- June- 2021 (Adhoc payment 75% - Mob. Adv.) (Ded. Mob. Adv. Rs. 8744016.71)
1.	पैमेन्ट स्टिकिंग/बिल के सापेक्ष आवंटित की जाने वाली धनराशि	(-) 3186740.20	8993666.99	62008870.56	62134722.31	63505177.04	65144730.77	49156467.39 (57900483.56 - 8744016.71)

2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	(-) 382408.82	1079240.04	7441064.47	7456166.68	7620621.24	7817367.69	5898776.09
3.	पूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	0.00	857957.32	1060388.46	792850.40	1114802.00	1171686.72
4.	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज़ / सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	(-) 318674.02	899366.70	6200887.06	6213472.23	6350517.70	6514473.08	4915646.74
5.	योग	(-) 3887823.04	10972273.73	76508779.41	76864749.68	78269166.38	80591373.54	61142576.93
6.	शासन द्वारा आवंटित की जाने वाली कुल धनराशि					38,04,61,096.63		
7.	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउन्ट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण						2,90,94,000.32	

सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष रु 38,04,61,096.63 (रु0 अठतीस करोड़ चार लाख इकसठ हजार छियानवे व तिरसठ मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जून-21 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 2,90,94,000.32 (रु0 दो करोड़ नबे लाख चौरानवे हजार व पैसे बतीस मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउन्ट में अंतरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा की जाती है।

**समिति का निर्णय:-** मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा उपरोक्तानुसार समिति के समक्ष की गयी संस्तुति के क्रम में पैकेज-8, गाजियाबाद जोन हेतु कुल धनराशि रु0 38,04,61,096.63 (रु0 अठतीस करोड़ चार लाख इकसठ हजार छियानवे व तिरसठ मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जून-21 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 2,90,94,000.32 (रु0 दो करोड़ नबे लाख चौरानवे हजार व पैसे बतीस मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउन्ट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सर्वसमति से सहमति व्यक्त की गयी। ट्रीटेड सीवेज की क्वालिटी कई बार निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्त न होने के दृष्टिगत समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था द्वारा एस0टी0पी0 के संचालन निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जाये।

(कार्यवाही- मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0एण्ड एम0 / उ0प्र0 शासन / उ0प्र0 जल निगम)

#### एजेण्डा-(iv)

महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के पत्र संख्या-712/वर्क-10/130 दिनांक 08.07.2021, पत्र संख्या-713/वर्क-10/131 दिनांक 08.07.2021, पत्र संख्या-714/वर्क-10/132 दिनांक 08.07.2021, पत्र संख्या-715/वर्क-10/133 दिनांक 08.07.2021, पत्र संख्या-716/वर्क-10/134 दिनांक 08.02.2021 एवं पत्र संख्या-835/कार्य-10/147 दिनांक 17.08.2021 द्वारा गोरखपुर जोन के अन्तर्गत गोरखपुर नगर में स्थित 15 व 30 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 के माह जनवरी-2021, फरवरी-2021, मार्च-2021, अप्रैल-2021 व मई-2021 हेतु फर्म - मेसर्स तोशीबा वाटर सॉल्यूशन प्रा0लि0 द्वारा गोरखपुर जोन में प्रदान की गयी सेवाएं एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष सापेक्ष प्राप्त पेमेन्ट सर्टीफिकेट/बिल जमा किया गया है (संलग्नक-10) एवं अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, गोरखपुर के पत्र संख्या-439/वि-28/34 दिनांक 21.06.2021 एवं पत्र संख्या 1617/एसी-3/222 दिनांक 17.08.2021 द्वारा गोरखपुर जोन के अन्तर्गत अयोध्या नगर में स्थित 12 एम0एल0डी0 एस0टी0पी के माह जवनरी, 2021, फरवरी, 2021, मार्च, 2021, अप्रैल, 2021 मई 2021 एवं जून 2021 हेतु फर्म - मेसर्स तोशीबा वाटर सॉल्यूशन प्रा0लि0 द्वारा गोरखपुर जोन में प्रदान की गयी सेवाएं एवं

कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल जमा किया गया है (संलग्नक-11) जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्रो सं०	अनुबन्ध के अनुसार पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	गोरखपुर	अयोध्या	टिप्पणी
1	Payment Certificate/ Bill- 14 <sup>th</sup> Jan, 2020	रु० 6289267.56 (फर्म को भुगतान रु० 5415138.00 + जीएसटी रु० 649816.56 + डीजल रु० 224313.00	रु० 2407104.05 (फर्म को भुगतान रु० 2122099.16 + जीएसटी रु० 254654.89 + डीजल रु० 30353.00	जल निगम को भुगतान हेतु स्वीकृति वांछित है।
2	Payment Certificate/ Bill- 15 <sup>th</sup> Feb, 2021	रु० 7677354.00 (फर्म को भुगतान रु० 6684862.00 + जीएसटी रु० 802183.44 + डीजल रु० 190308.00	रु० 24,17,520.00 (फर्म को भुगतान रु० 2136758.03 + जीएसटी रु० 256410.96 + डीजल रु० 24351.00	
3	Payment Certificate/ Bill- 16 <sup>th</sup> March, 2021	रु० 5542826.00 (फर्म को भुगतान रु० 4817421.00 + जीएसटी रु० 578090.52 + डीजल रु० 147315.00	रु० 24,33,128.00 (फर्म को भुगतान रु० 2139565.00 + जीएसटी रु० 256747.80 + डीजल रु० 36816.00	
4	Payment Certificate/ Bill- 17 <sup>th</sup> April, 2021	रु० 7899867.00 (फर्म को भुगतान रु० 6786174.00 + जीएसटी रु० 814340.88 + डीजल रु० 299352.00	रु० 24,19,754.37 (फर्म को भुगतान रु० 2138691.40 + जीएसटी रु० 256642.97 + डीजल रु० 24420.00	
5	Payment Certificate/ Bill- 18 <sup>th</sup> May, 2021	रु० 7569067.00 (फर्म को भुगतान रु० 6610200.00 + जीएसटी रु० 793224.00 + डीजल रु० 165643.00	रु० 2467037.85 (फर्म को भुगतान रु० 2180318.62 + जीएसटी रु० 261638.23 + डीजल रु० 25081.00	

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि माह जुलाई-2020 से दिसम्बर-2020 तक का आंशिक भुगतान ही हुआ है। शेष भुगतान हेतु मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एंड एम सेल के पत्र संख्या 99/09/368(5) / OM&M Cell दिनांक 08.01.2021 एवं पत्र संख्या-109/09/368(5)/2020-21 दिनांक 20.01.2021 द्वारा प्रेच्छायें की गयी है जिसका निराकरण वर्तमान तक नहीं होने से भुगतान नहीं किया जा सका है। इस हेतु मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या-200/9/368(5)/2021-22 दिनांक 09.08.2021 द्वारा पुनः अनुस्मारक प्रेषित किया गया है।

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिलों का ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर एवं परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर द्वारा जनवरी-2021, फरवरी-2021, मार्च-2021, अप्रैल-2021 व मई-2021 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल प्रमाणित प्रेषित किये गये हैं प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा निगम द्वारा बिल प्रस्तुत है।

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर एवं परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर द्वारा जनवरी-2021, फरवरी-2021, मार्च-2021, अप्रैल-2021, मई-2021 का परीक्षण किया गया तथा निष्पादित अनुबंध की क्लाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस०टी०पी० वाईज क्वांटीटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है (संलग्नक-12)। गोरखपुर जोन में स्थित कुल 3 नग एस०टी०पी० का ट्रीटेड सीवेज जनवरी-2021 से मई-2021 तक क्वांटीटी एवं क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, अयोध्या - बी०ओ०डी०-४ बार, सी०ओ०डी०-४० बार, टी०एस०एस०-४ बार
- 15 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, गोरखपुर - बी०ओ०डी०-१२४ बार, सी०ओ०डी०-११३ बार, टी०एस०एस०-११८ बार
- 30 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, गोरखपुर - बी०ओ०डी०-९० बार, सी०ओ०डी०-६१ बार, टी०एस०एस०-१२० बार

गोरखपुर जोन के 3 नग एस०टी०पी० में की गयी क्वालिटी एवं क्वांटिटी के सापेक्ष की गयी कटौतियाँ का विवरण निम्नवत् है:-

माह	उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	मोबिलाइजेशन एडवांइस हेतु कटौती	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० की कुल कटौती	कुल कटौतियाँ (मोबिलाइजेशन एडवांइस, क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० सहित)
1	2	3	4	5 = (3+4)
<b>गोरखपुर जोन</b>				
जनवरी 2021	8696371.61	1110097.33	2877853.11	3987950.44
फरवरी 2021	10094873.44	1110097.33	763931.16	1874028.49
मार्च 2021	7975954.52	1110097.33	1188102.56	2298199.89
अप्रैल 2021	10319621.37	1110097.33	3191254.50	4301351.83
मई 2021	10036104.85	1110097.33	951046.95	2061144.28
जून 2021 (आंशिक)	9979041.60	1110097.33	1778098.76	2888196.09
योग	<b>57101967.39</b>	<b>6660583.98</b>	<b>10750287.04</b>	<b>17410871.02</b>

सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-34 के अनुसार मेसर्स तोशीबा वाटर सल्यूशन प्रा०लि० को मोबलाइजेशन एडवांस (अनुबंध की वार्षिक धनराशि का 10 प्रतिशत) रु 1,33,21,168.00 (रु ० एक करोड़ तैनीस लाख इक्कीस हजार एक सौ अड्सठ मात्र) भुगतान किया गया है जिसकी 12 किश्तों के सापेक्ष प्रथम किश्त की देयता जनवरी-2021 से है। इसकी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th & 6th (आंशिक) किश्त की कटौती जल निगम द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई व जून 2021 के बिल से की जानी थी परन्तु जल निगम द्वारा कटौती न किये जाने के कारण प्रतिमाह रु० 11,10,097.33 (रु० ग्यारह लाख दस हजार सतानवे व पैसे तैनीस मात्र) की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल व मई 2021 के बिल में ओएमएण्डएम सेल द्वारा की गयी है।

सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष रु० 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्क्रेलेशन के उपरान्त) अपने देयकों से जमा की जानी अपेक्षित है। मेसर्स तोशीबा वाटर सल्यूशन प्रा०लि० को भुगतान की गयी धनराशि (इस बैठक में प्रस्तुत बीजकों को सम्मिलित करते हुए) के सापेक्ष वर्तमान तक रु० 9,37,21,438.17 जमा किया जाना है जिसके सापेक्ष फर्म ने रु० 2,55,60,801.00 जमा किये हैं अर्थात् फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउन्ट में रु० 6,81,60,637.17 जमा किया जाना अवशेष है।

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त तथा बैठक में फर्म के अनुरोध पर जल निगम द्वारा प्रेषित जून-21 का सत्यापित बिल की अनुबंध के सेक्षण-6 क्लॉज-6.6 के पेमेन्ट प्रोसीजर के क्रम में 75 प्रतिशत धनराशि (संलग्नक-13) का ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा निम्न विवरण के अनुसार उ०प्र० जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की जाती है:

क्र. स.	विवरण	14 <sup>th</sup> Payment Certificate /Bill- Jan- 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 1110097.33)	15 <sup>th</sup> Payment Certificate /Bill- Feb- 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 1110097.33)	16 <sup>th</sup> Payment Certificate /Bill- Mar- 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 1110097.33)	17 <sup>th</sup> Payment Certificate /Bill- Apr- 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 1110097.33)	18 <sup>th</sup> Payment Certificate /Bill- May- 2021 (Ded. Mob. Adv. Rs. 1110097.33)	19 <sup>th</sup> Payment Certificate /Bill- June- 2021 (Adhoc payment 75% - Mob. Adv.) (Ded. Mob. Adv. Rs. 1110097.33)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष आवंटित की जाने वाली धनराशि	3650618.99	6562447.50	4502970.19	4667620.94	6380521.78	5664454.51 (6774551.84 - 1110097.33)
2.	जी.एस.टी. (12%)	438074.28	787493.70	540356.42	560114.51	765662.61	679734.54
3.	फ्यूल चार्जर्स (As per actual Certified by UPJN)	254666.00	214659.00	184131.00	323772.00	190724.00	180211.00
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/	365061.90	656244.75	450297.02	466762.09	638052.18	566445.45

	सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)						
5	योग	4708421.17	8220844.95	5677754.63	6018269.54	7974960.57	7090845.51
6	शासन द्वारा आवंटित की जाने वाली कुल धनराशि		3,27,76,796.92 + 31,42,863.39 (Centage) + 37,71,436.06 (GST) = 3,96,91,096.37				
7	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जून-21 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 6,81,60,637.17 हेतु रु0 3,27,76,796.92 (रु0 तीन करोड़ सत्ताईस लाख छिह्तर हजार सात सौ छियानवे व पैसे बानवे मात्र) की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 3,53,83,840.25 (रु0 6,81,60,637.17 - रु0 3,27,76,796.92 = रु0 3,53,83,840.25) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा की जाती है।		68160637.17				

सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष रु0 3,96,91,096.37 (रु0 तीन करोड़ छियानवे लाख इक्यानवे हजार छियानवे व पैसे सैंतीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जून-21 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 6,81,60,637.17 हेतु रु0 3,27,76,796.92 (रु0 तीन करोड़ सत्ताईस लाख छिह्तर हजार सात सौ छियानवे व पैसे बानवे मात्र) की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 3,53,83,840.25 (रु0 6,81,60,637.17 - रु0 3,27,76,796.92 = रु0 3,53,83,840.25) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी। ट्रीटेड सीवेज की क्वालिटी कई बार निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्त न होने के दृष्टिगत समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था द्वारा एस0टी0पी0 के संचालन निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जाये।

**समिति का निर्णय:-** मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा उपरोक्तानुसार समिति के समक्ष की गयी संस्तुति के क्रम में पैकेज-5, गोरखपुर जोन हेतु कुल धनराशि रु0 3,96,91,096.37 (रु0 तीन करोड़ छियानवे लाख इक्यानवे हजार छियानवे व पैसे सैंतीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जून-21 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 6,81,60,637.17 हेतु रु0 3,27,76,796.92 (रु0 तीन करोड़ सत्ताईस लाख छिह्तर हजार सात सौ छियानवे व पैसे बानवे मात्र) की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 3,53,83,840.25 (रु0 6,81,60,637.17 - रु0 3,27,76,796.92 = रु0 3,53,83,840.25) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी। ट्रीटेड सीवेज की क्वालिटी कई बार निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्त न होने के दृष्टिगत समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था द्वारा एस0टी0पी0 के संचालन निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जाये।

**(कार्यवाही— मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0एण्ड एम0 / उ0प्र0 शासन / उ0प्र0 जल निगम)**

**मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल की संकलित संस्तुति:-** उपरोक्तानुसार एजेण्डा (i, ii, iii एवं iv) हेतु लिये गये निर्णय में अंकित कुल धनराशि रु0 79,50,13,284.10 (रु0 उन्यासी करोड़ पचास लाख तेरह हजार दो सौ चौरासी व पैसे दस मात्र) में से लखनऊ जोन के लिए रु0 25,81,41,714.26 (रु0 पच्चीस करोड़ इक्यासी लाख इकतालीस हजार सात सौ चौदह व पैसे छब्बीस मात्र), आगरा जोन के लिए रु0 11,67,19,376.84 (रु0 ग्यारह करोड़ सडसठ लाख उन्नीस हजार तीन सौ छिह्तर व पैसे चौरासी मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए रु0 38,04,61,096.63 (रु0 अड्टीसी करोड़ चार लाख इक्सठ हजार छियानवे व पैसे तिरसठ मात्र) एवं गोरखपुर जोन के लिए रु0 3,96,91,096.37 (रु0 तीन करोड़ छियानवे व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने जिसमें से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जून-21 तक लम्बित लखनऊ जोन, आगरा जोन, गाजियाबाद जोन हेतु क्रमशः रु0 6,90,00,000.00 (रु0 छ: करोड़ नब्बे लाख), रु0 2,47,33,866.32 (रु0 दो करोड़ सैतालीस लाख तैनीस हजार आठ सौ छाँचठ व पैसे बतीस मात्र), रु0 2,90,94,000.32 (रु0 दो करोड़ नब्बे लाख चौरानवे हजार व पैसे बतीस मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं गोरखपुर जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जून-21 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 6,81,60,637.17 बनती है जबकि आवंटन रु0 3,96,91,096.37 मात्र {3,27,76,796.92 + 31,42,863.39 (Centage) + 37,71,436.06 (GST) = 3,96,91,096.37} है, अतः प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा रु0 3,27,76,796.92 की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 3,53,83,840.25 (रु0 6,81,60,637.17 – रु0 3,27,76,796.92 = रु0 3,53,83,840.25) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को उक्त धनराशि रु0 79,50,13,284.10 (रु0 उन्यासी करोड़ पचास लाख तेरह हजार दो सौ चौरासी व पैसे दस मात्र) आवंटित करने हेतु संस्तुति की जाती है।

### समिति का निर्णय:

उपरोक्तानुसार मुख्य अभियन्ता / सदस्य सचिव, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में लखनऊ जोन के लिए रु0 25,81,41,714.26 (रु0 पच्चीस करोड़ इक्यासी लाख इक्तालीस हजार सात सौ चौदह व पैसे छब्बीस मात्र), आगरा जोन के लिए रु0 11,67,19,376.84 (रु0 ग्यारह करोड़ सड़सठ लाख उन्नीस हजार तीन सौ छिहतर व पैसे चौरासी मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए रु0 38,04,61,096.63 (रु0 अड्डतीस करोड़ चार लाख इक्सठ हजार छियानवे व पैसे तिरसठ मात्र) एवं गोरखपुर जोन के लिए रु0 3,96,91,096.37 (रु0 तीन करोड़ छियानवे लाख इक्यानवे हजार छियानवे व पैसे रैंतीस मात्र) कुल धनराशि रु0 79,50,13,284.10 (रु0 उन्यासी करोड़ पचास लाख तेरह हजार दो सौ चौरासी व पैसे दस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने जिसमें से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जून–21 तक लम्बित बकाया लखनऊ जोन के लिए धनराशि रु0 6,90,00,000.00 (रु0 छ: करोड़ नब्बे लाख), आगरा जोन के लिए धनराशि रु0 2,47,33,866.32 (रु0 दो करोड़ सैतालीस लाख तैनीस हजार आठ सौ छाँचठ व पैसे बतीस मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए रु0 2,90,94,000.32 (रु0 दो करोड़ नब्बे लाख चौरानवे हजार व पैसे बतीस मात्र) की शत–प्रतिशत कटौती कर एवं गोरखपुर जोन के लिए शासन द्वारा स्वीकृत की जाने वाली धनराशि रु0 3,96,91,096.37 से बकाया धनराशि रु0 3,27,76,796.92 की कटौती प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं गोरखपुर जोन के लिए एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 3,53,83,840.25 हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही— उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 जल निगम/मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0एण्ड एम0)

विद्युत बिल—

एजेण्डा—(v)

महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा के पत्र—1044 / Payment O&M VATech Wabag/27 दिनांक 12.04.2021, पत्र संख्या—1159 / Payment O&M VATech Wabag/31 दिनांक 07.05.2021, 1267 / Payment O&M VATech Wabag/38 दिनांक 08.06.2021, पत्र संख्या—1530 / Payment O&M VATech Wabag/55 दिनांक 13.07.2021 एवं पत्र संख्या—1824 / Payment O&M VA Tech Wabag/58 दिनांक 13.08.2021 द्वारा 05 नग एस0टी0पी0 व 28 नग एस0पी0एस0 के माह मार्च 2021, अप्रैल 2021, मई 2021, जून—2021 व जुलाई—2021 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 81,52,814.72 (रु0 एक्यासी लाख बावन हजार आठ सौ चौहद व पैसे बहत्तर मात्र), रु0 73,85,253.35 (रु0 तिहत्तर लाख पिच्चासी हजार दो सौ तिरपन व पैसे पैतिस मात्र) रु0 70,56,006.63 (रु0 सत्तर लाख छप्पन हजार छ: व पैसे तिरेसठ मात्र), रु0 75,42,111.91 (रु0 पछत्तर लाख बियालीस हजार ग्यारह सौ एक व पैसे इक्यानवे मात्र) एवं रु0 75,16,287.89 (रु0 पिचहत्तर लाख सोलह हजार दो सौ सतासी व पैसे नवासी मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा के पत्र संख्या 1081 / Payment O&M VATech Wabag/30 दिनांक 09.04.2021, पत्र संख्या—1175 / Payment O&M VATech Wabag/32 दिनांक 18.05.2021, पत्र संख्या—1360 / Payment O&M VATech Wabag/148 दिनांक 17.06.2021 एवं पत्र संख्या—1302 / Payment O&M VATech Wabag/39 दिनांक 10.06.2021 द्वारा 02 नग एस0टी0पी0 के दिनांक 01.03.2021 से 03.04.2021, 01.03.2021 से 04.04.2021, 03.04.2021 से 10.05.2021, 04.04.2021 से 04.05.2021, 10.05.2021 से 01.06.2021 एवं 04.05.2021 से 01.06.2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 122971.00 (रु0 एक लाख बाईस हजार नौ सौ इक्कत्तर मात्र) रु0 129345.00 (रु0 एक लाख उन्तीस हजार तीन सौ पैतालिस

4 8

मात्र) 111372.00 (रु0 एक लाख रुपये हजार तीन सौ बहत्तर मात्र) एवं रु0 1754082.21 (रु0 सत्रह लाख चौवन हजार बयासी व पैसे इक्कीस मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है।

**एजेण्डा-(vi)** (1) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-2091/कार्य-33/146 दिनांक 07.07.2021 द्वारा सीवेज पम्प जी0डी0ए0 मार्कट, सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद, सीवेज पम्प नगर निगम, सेक्टर-1, निकट मैक्स अस्पताल वैशाली, गाजियाबाद, सीवेज पम्प सप्तम खण्ड, सेक्टर-19 वसुन्धरा, गाजियाबाद व सीवेज पम्प निकट कनावनी पुलिसा सेक्टर-5 वसुन्धरा, गाजियाबाद के माह मई 2021 का प्रमाणित विद्युत देयक रु0 992047.00 (रु0 नौ लाख बानवे हजार सैंतालीस मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है।

(2) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-2010/कार्य-33/137 दिनांक 02.07.2021, पत्र संख्या-2110/कार्य-33/147 दिनांक 12.07.2021 एवं पत्र संख्या 2492/कार्य-33/165 दिनांक 03.8.2021 द्वारा 74, 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 व 48 एम0पी0एस0 इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के दिनांक 01.06.2021 से दिनांक 01.07.2021, 31.05.2021 से 20.06.2021 व दिनांक 26.07.2021 से दिनांक 01.08.2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 43,40,568.00 (रु0 तिरालिस लाख तालीस हजार पाँच सौ अड़सठ मात्र), रु0 10,53,912.00 (रु0 दस लाख तिरपन हजार नौ सौ बारह मात्र) एवं रु0 4879895.00 (रु0 अड़तालीस लाख उनासी हजार आठ सौ पंचानवे मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः इन्दिरापुरम, गाजियाबाद की प्रमाणित विद्युत देयक की कुल धनराशि रु0 1,02,74,375.00 (रु0 एक करोड़ दो लाख चौहतर हजार तीन सौ पछतर मात्र) है।

(3) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-2289/कार्य-33/156 दिनांक 23.07.2021 द्वारा 03 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 व 2 एम0एल0डी0, आई0पी0एस0, पिलखुआ के माह मार्च, अप्रैल व मई-2021 व पत्र संख्या 2485/कार्य-33/164 दिनांक 02.08.2021 द्वारा जून-2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 760653.00 (रु0 सात लाख साठ हजार छ: सौ तिरपन मात्र) व रु0 286926.93 (रु0 दो लाख छियासी हजार नौ सौ छबीस व तिरानवे पैसे मात्र) है।

(4) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-2403/कार्य-33/161 दिनांक 29.07.2021 व पत्र संख्या-2494/कार्य-33/166 दिनांक 03.08.2021 द्वारा 56 व 70 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 झूड़ाहेड़ा के माह जून व जुलाई-2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 4261574.00 (रु0 बियालीस लाख इक्सठ हजार पाँच सौ चौहतर मात्र) व रु0 4711878.00 (रु0 सैंतालीस लाख रुपये हजार आठ सौ अठहत्तर) है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(5) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या - 2288/कार्य-33/155 दिनांक 23.07.2021 द्वारा 56 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0, इन्दिरापुरम से सम्बद्ध आई0पी0एस0 के माह फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई व जून-2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक रु0 2860178.00 (रु0 अठाइस लाख साठ हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) है।

**एजेण्डा-(vii)** अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई निर्माण खण्ड (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद के पत्र संख्या-765/सीवर रामपुर/03 दिनांक 30.06.2021 द्वारा 05, 14, एवं 15 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 व 4 नग एम0पी0एस0 मुरादाबाद, के माह जनवरी से 2020 मई 2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक रु0 2,13,24,259.00 (दो करोड़ तेरह लाख चौबीस हजार दो सौ उन्सठ मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है।

**एजेण्डा-(viii)** अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई निर्माण खण्ड (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद के पत्र संख्या-934/सीवर बिजनौर/05 दिनांक 31.07.2021 द्वारा 24 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बिजनौर नगर के माह जनवरी से 2020 जून 2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक रु0 1,14,46,741.00 (रु0 एक करोड़ चौदह लाख छियालीस हजार सात सौ इक्तालीस मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है।

**एजेण्डा-(ix)** महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल, गाजियाबाद के पत्र संख्या-1331/वन सिटी वन ऑपरेटर/252 दिनांक 19.07.2021 द्वारा 72 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, मेरठ, आई0पी0एस0-5, शास्त्रीनगर, मेरठ व आई0पी0एस0, माजिदनगर, जाकिर कॉलोनी, मेरठ के माह जून, 2021 का प्रमाणित विद्युत देयक रु0 2843057.41 (रु0 अठाइस लाख तैनालीस हजार सतावन व पैसे इक्तालीस मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है।

*[Signature]*

*[Signature]*

15

*[Signature]*

*[Signature]*

**एजेण्डा-(x)** महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र-1153/W-20/16 दिनांक 21.05.2021 द्वारा 03 नग एस0टी0पी0 व 30 नग एस0पी0एस0 के माह नवम्बर 2019 से फरवरी 2021, पत्र संख्या 1456/W-20/19 दिनांक 02.07.2021 द्वारा 03 नग एस0टी0पी0 व 30 नग एस0पी0एस0 के माह मार्च 2021 एवं पत्र संख्या-1646/डब्लू-20/22 दिनांक 24.07.2021 द्वारा 03 नग एस0टी0पी0 व 30 नग एस0पी0एस0 के माह अप्रैल, मई एवं जून-2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 376831815.00 (रु0 सैंतिस करोड़ अड़सठ लाख इकत्तिस हजार आठ सौ पन्द्रह व पैसे पैंतिस मात्र), रु0 24876315.00 (रु0 दो करोड़ अड़तालिस लाख छियत्तर हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र) एवं रु0 74612148.00 (रु0 सात करोड़ छियालीस लाख बारह हजार एक सौ अड़तालीस मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है।

**एजेण्डा-(xi)** परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर के पत्र संख्या-406/कार्य-10/55 दिनांक 31.03.2021 द्वारा 30 व 15 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 व एम0पी0एस0 गोरखपुर के माह फरवरी 2021, पत्र संख्या-588/कार्य-10/99 दिनांक 05.06.2021 द्वारा मार्च 2021 व अप्रैल 2021 तक एवं पत्र संख्या-753/कार्य-10/145 दिनांक 22.07.2021 द्वारा मई व जून-2021 तक के प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 4264066.97 (रु0 बयालिस लाख चौसठ हजार छ्यासठ व सन्तानबे पैसे मात्र), रु0 8755297.57 (रु0 सत्तासी लाख पचपन हजार दो सौ सन्तानबे व सन्तावन पैसे मात्र) एवं रु0 5376635.08 (रु0 तिरपन लाख छियत्तर हजार छ: सौ पैंतीस व आठ पैसे) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्तानुसार पैरा (v), (vi), (vii), (viii), (ix) एवं (x) के शहर-वार/टाउन-वार विद्युत बिल का विवरण निम्नानुसार है:-

ऐजेण्डा क्र0सं0	शहर/टाउन का नाम	एस0टी0पी0/पम्पिंग स्टेशन का विवरण	बिल की अवधि	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रमाणित विद्युत बिल की धनराशि रु0
(v)	आगरा	5 नग एस0टी0पी0 व 28 नग एस0पी0एस0	मार्च-2021	8152814.72
		5 नग एस0टी0पी0 व 28 नग एस0पी0एस0	अप्रैल-2021	7385253.35
		5 नग एस0टी0पी0 व 28 नग एस0पी0एस0	मई-2021	7056006.63
		5 नग एस0टी0पी0 व 28 नग एस0पी0एस0	जून-2021	7542111.91
		5 नग एस0टी0पी0 व 28 नग एस0पी0एस0	जुलाई-2021	7516287.89
		2 एस0टी0पी0	दिनांक 16.12.2019 से अक्टूबर-2020 तक	1754082.21
		2 एस0टी0पी0	मार्च-2021	122971.00
		2 एस0टी0पी0	अप्रैल-2021	129345.00
		2 एस0टी0पी0	मई-2021	111372.00
		योग		3,97,70,244.71
(vi)	गाजियाबाद	सेक्टर-5, 1, 19 व 5 सीवेज पम्प, गाजियाबाद,	01.05.21 से 02.06.21	992047.00
		30 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0, लोनी, गाजियाबाद	31.05.21 से 20.06.21	627127.25
			01.06.21 से 02.07.21	725513.00
		68 एम0एल0डी0, एम0पी0एस0, लोनी, गाजियाबाद	31.05.21 से 20.06.21	426785.00
			01.06.21 से 02.07.21	364442.00
		56 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0	01.06.21 से 02.07.21	1255766.00
		56 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 से सम्बद्ध आई0पी0एस0 इन्दिरापुरम	01.02.21 से 01.03.21	571461.62
			01.03.21 से 01.04.21	619138.00
			01.04.21 से 01.05.21	579532.00

			01.05.21 से 01.06.21	561061.00
			01.06.21 से 01.07.21	528985.46
		48 एम०एल०डी०, एम०पी०एस०	01.06.21 से 02.07.21	44765.00
			26.07.21 से 01.08.21	41437.00
		74 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०	01.06.21 से 02.07.21	3040037.00
			26.07.21 से 01.08.21	3552788.00
		56 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०	26.07.21 से 01.08.21	1285670.00
		56 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०, झूडाहेड़ा	01.06.21 से 03.07.21	3148534.00
			03.07.21 से 01.08.21	3400145.00
		70 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०, झूडाहेड़ा	01.06.21 से 05.07.21	1113040.00
			05.07.21 से 01.08.21	1311733.00
		03 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० पिलखुआ	01.03.21 से 01.04.21	199399.00
			01.04.21 से 15.05.21	253788.00
			15.05.21 से 01.06.21	134342.00
			01.06.21 से 08.07.21	246291.93
		02 एम०एल०डी०, आई०पी०एस०, पिलखुआ	01.03.21 से 29.04.21	57708.00
			29.04.21 से 30.05.21	57708.00
			30.05.21 से 29.06.21	57708.00
			29.06.21 से 29.07.21	40635.00
			योग	2,52,37,587.26
(vii)	रामपुर	03 एस०टी०पी०, 04 एस०पी०एस० व 1 आई०पी०एस०	जनवरी–2020 से मई– 2021 तक	21324259.00
(viii)	बिजनौर	24 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०	जनवरी–2020 से जून– 2021 तक	11446741.00
(ix)	मेरठ	72 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०	1.06.2021 से 01.07.21	2385744.58
		आई०पी०एस०–5, शास्त्री नगर	1.06.2021 से 02.07.21	430279.01
		आई०पी०एस०–5, माजिदनगर	09.07.21 से 07.07.21	27033.82
			योग	2843057.41
(x)	लखनऊ	3 नग एस०टी०पी० व 30 नग एस०पी०एस०	नवम्बर 2019 से फरवरी 2021 तक	376831815.00
		3 नग एस०टी०पी० व 30 नग एस०पी०एस०	मार्च, 2021	24876315.00
		3 नग एस०टी०पी० व 30 नग एस०पी०एस०	अप्रैल, मई एवं जून, 2021	74612148.00
			योग	476320278.00
(xi)	गोरखपुर	30 व 15 एम०एल०डी० एस०टी०पी० व एस०पी०एस०	फरवरी 2021	4264066.97
		30 व 15 एम०एल०डी० एस०टी०पी० व एस०पी०एस०	मार्च 2021 व अप्रैल 2021	8755297.57
		30 व 15 एम०एल०डी० एस०टी०पी० व एस०पी०एस०	मई–2021 व जून–2021	5376635.08
			योग	18395999.62
			महायोग	59,53,38,167.00

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिलों का ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा (v), एजेण्डा (vi), एजेण्डा (vii), एजेण्डा (viii), एजेण्डा (ix), एजेण्डा (x), तथा एजेण्डा (xi) में प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा इकाईयों से प्राप्त विद्युत बिलों का परीक्षण किया गया।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद जोन के 30 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०, लोनी, गाजियाबाद एवं 68 एम०एल०डी०, एम०पी०एस०, लोनी, गाजियाबाद के प्रेषित विद्युत बिलों में कुछ अवधि की पुनरावृत्ति होने के कारण दिनांक 01.06.2021 से 02.07.2021 तक के अवधि के विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया जा सकता है। उक्त एस०टी०पी० एवं एम०पी०एस० के दिनांक 31.05.2021 से दिनांक 20.06.2021 तक की अवधि के विद्युत बिलों का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है जिसकी जोनवार स्थिति निम्नवत् है:-

क्र०सं०	जोन का नाम	आवंटित की जाने वाली धनराशि
1	2	3
1	लखनऊ जोन	47,63,20,278.00
2	आगरा जोन	3,97,70,244.71
3	गाजियाबाद जोन	5,97,61,689-67
4	गोरखपुर जोन	1,83,95,999.62
महायोग		59,42,48,212.00

उपरोक्तानुसार विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि रु० 59,42,48,212.00 (रु० उनसठ करोड़ बियालीस लाख अड्डतालिस हजार दो सौ बारह मात्र) वांछित है, जिसकी स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को विद्युत देयकों के मद में आवंटित करने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा की जाती है।

समिति का निर्णयः— मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा उपरोक्तानुसार प्रमाणित कुल धनराशि रु० 59,42,48,212.00 (रु० उनसठ करोड़ बियालीस लाख अड्डतालिस हजार दो सौ बारह मात्र) में से क्रमशः लखनऊ जोन के लिए रु० 47,63,20,278.00, आगरा जोन के लिए रु० 3,97,70,244.71 गाजियाबाद जोन के लिए रु० 5,97,61,689.67 एवं गोरखपुर जोन के लिए रु० 1,83,95,999.62 की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को विद्युत देयकों के मद में आवंटित करने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम/ मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम०)

एजेण्डा (xi) गोरखपुर जोन (गोरखपुर, अयोध्या एवं सुल्तानपुर), पैकेज-५ के अनुबंध से सुल्तानपुर शहर के ०५ एम०एल०डी० एस०टी०पी० एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन इत्यादि के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबन्धन कार्य को स्कोफ ऑफ वर्क से समाप्त करने हेतु प्रस्तावः

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्रांक-149/022/407(बी)/2020 दिनांक 20.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया कि सुल्तानपुर में आई. एण्ड डी. एवं एस. टी. पी. कार्य की नमामि गंगे कार्यक्रम में स्वीकृत (DOBT) परियोजना मेसर्स ईआईआईपीएल-एबीआई (जेबी) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें योजनान्तर्गत नये निर्माण कार्यों के साथ-साथ सुल्तानपुर नगर में पूर्व निर्मित सीवरेज परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए समस्त सीवरेज परिसम्पत्तियों का संचालन एवं रख-रखाव (15 वर्ष) के लिये किया जायेगा। नमामि गंगे परियोजना का वित्त पोषण 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वन सिटी वन आपरेटर के अंतर्गत गोरखपुर जोन (62 एम.एल.डी.) के अनुबंध में सुल्तानपुर के पूर्व से सृजित ०५ एम०एल०डी० एस०टी०पी० एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबन्धन का कार्य मेसर्स तोशीबा वाटर सॉल्यूशन, गुरुग्राम द्वारा दिनांक 28.12.2019 से किया जा रहा था। संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 28.04.2021 को आहूत बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किया गया। निदेशालय करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में उपस्थित श्री ओ०पी० सिंह, मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र) ने अवगत कराया कि सुल्तानपुर में स्थित ५ एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० में ट्रीटेड एफलुएंट पाइप नहीं है, इसलिये एस०टी०पी० के रखरखाव का कोई औचित्य नहीं है, इसलिये जून-2020 के पश्चात इस कार्य हेतु कोई बिल का सत्यापन नहीं किया गया है। वर्तमान में नमामि गंगे योजनान्तर्गत स्वीकृत नये कार्य मेसर्स EIIPL-ABI(JV) द्वारा इसी ५.०० एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० परिसर में ही कराये जा रहे हैं। इस ५ एम०एल०डी० के एस०टी०पी० की क्षमता को बढ़ाकर १० एम०एल०डी० करने का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अतः ५ एम०एल०डी०, एस०टी०पी० एवं तत्सम्बन्धी कार्यों को गत बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन में मेसर्स EIIPL-ABI (JV) को हस्तांतित करने हेतु M/s Toshiba को निर्देशित किया जा चुका है।

उक्त पर ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधित अनुबंध की लागत हेतु संस्तुति निम्नवत है:-

दिये गये निर्देश के अनुपालन में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि गोरखपुर जोन (गोरखपुर, अयोध्या एवं सुल्तानपुर), पैकेज-५ में अनुबंध के अनुसार ₹ 0 13,32,11,677/- प्रति वर्ष के अनुसार 10 वर्ष हेतु धनराशि ₹ 1,33,21,16,770.00 है। यह धनराशि कुल 62 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य से संबंधित है।

सुल्तानपुर में स्थित 5 एम०एल०डी० एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य को हटाने के पश्चात गोरखपुर जोन हेतु मेसर्स तोशीबा वाटर सोल्यूशन प्रा०लि० के अनुबंध हेतु 57 एम०एल०डी० एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य हेतु अनुबंध की संशोधित धनराशि ₹ 0 12,24,68,799.82 प्रतिवर्ष होती है एवं तदनुसार एस्क्रो एकाउन्ट में जमा करने वाली संशोधित धनराशि ₹ 0 6,43,54,839 होती है। संशोधित धनराशि में 5 प्रतिशत एस्केलेशन अनुबंध की शर्तों के अनुसार देय है। गोरखपुर जोन के अनुबंध की संशोधित धनराशि ₹ 0 12,24,68,799.82 प्रतिवर्ष एवं तदनुसार एस्क्रो एकाउन्ट में जमा करने वाली संशोधित धनराशि ₹ 0 6,43,54,839 की संस्तुति मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा की जाती है।

समिति का निर्णय:- मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी संस्तुति के क्रम में गोरखपुर जोन के अनुबंध की संशोधित धनराशि ₹ 0 12,24,68,799.82 प्रतिवर्ष एवं तदनुसार एस्क्रो एकाउन्ट में जमा करने वाली संशोधित धनराशि ₹ 0 6,43,54,839 की समस्त उपस्थित समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम / मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम०)

**एजेण्डा (xii)** सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2021 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 05 (III) में उल्लेख है कि :-

“वन-सिटी वन-आपरेटर के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित एस.टी.पी. इत्यादि के रखरखाव संचालन व प्रबन्धन कार्य (पैकेज-४ लखनऊ जोन, पैकेज-६ आगरा जोन, पैकेज-८ गाजियाबाद जोन, पैकेज-५ गोरखपुर जोन) के अनुबंध के अन्तर्गत मेजर रिप्लेसमेण्ट फण्ड के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृति हेतु अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के ध्यान में रखते हुये प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये।”

उक्त के अनुपालन में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या जी-४२/०२२-४०७(बी) / 2020-21 दिनांक 02.06.2021 (संलग्नक-१३) द्वारा अवगत कराया है कि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्र सं. 49/०२२-०४५/२० दिनांक 25.01.2020, 50/०२२-०४५/२० दिनांक 25.01.2020, 51/०२२-०४५/२० दिनांक 25.01.2020 एवं पत्र सं. 52/०२२-०४५/२० दिनांक 25.01.2020 द्वारा अधिकार संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को प्रदत्त (Delegates) किया गया है, जिसमें उल्लिखित है:-

*In reference of above mentioned agreement ,Undersigned- The Managing Director, U.P.Jal Nigam, 6 Rana Pratap Marg, Lucknow delegates all power to Administer, operate, monitor & effective supervision of this agreement to the Chief Engineer (Ghaziabad/Agra/Lucknow/Gorakhpur) and onward the Chief Engineer shall exercise the power to execute the Contract with in the periphery of said agreement in their jurisdiction and shall also be responsible to fulfill the duties mentioned in agreement for successful execution of the contract.”*

उक्त के क्रम में मेजर रिप्लेसमेण्ट फण्ड के सापेक्ष कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु अधिकारों के विकेन्द्रीकरण हेतु प्रस्ताव निम्नवत है:-

- 1- मेजर रिप्लेसमेण्ट फण्ड के सापेक्ष कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों के डी०पी०आर० का विरचन नोडल महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा करके क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (गंगा) उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा।
- 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा) उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा डी.पी.आर. का परीक्षण पी.पी.आर.बी.डी., उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के माध्यम से कराया जाना होगा।

- 3- मुख्य अभियन्ता (पी.पी.आर.वी.डी.) उ.प्र. जल निगम, लखनऊ द्वारा डी.पी.आर. का परीक्षण एक सप्ताह के अन्दर कर मुख्य अभियन्ता (गंगा) को प्रत्यावर्तित करना होगा।
- 4- डी.पी.आर. परीक्षणोपरान्त उचित पाये जाने पर मेजर रिप्लेसमेण्ट फण्ड के सापेक्ष कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुबन्ध के **Section-II, Clause 2.8 Major Replacement Fund** के अनुसार किया जायेगा।
- 5- फर्मों द्वारा संतोषजनक कार्य सम्पादित किये जाने के उपरान्त नोडल महाप्रबंधक / अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुबन्ध के **Section-II, Clause 2.8 Major Replacement Fund** के अनुसार कार्यों को प्रमाणित करने एवं Bill Certify (Net Payment shall be exclusive of Contractor labor cost and profit) करते हुये नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ को Escrow Account से फर्म को भुगतान कराने की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण की जायेगी।
- 6- नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ द्वारा Escrow Account से फर्म को भुगतान करने की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण की जायेगी।

उक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया।

#### उक्त पर ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तुत स्थिति निम्नवत् हैः-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के क्लॉज 2.8 Major Replacement Fund के अंतर्गत प्रथम वर्ष हेतु कुल रु० ०७ करोड़ [०२ करोड़ सिस्टम (एस०टी०पी०) + ०५ करोड़ कलैक्शन सिस्टम (एस०पी०एस०, नाला टैपिंग, राइजिंग मेन व सीवर लाइन आदि)] का प्राविधान है जिस पर प्रथम वर्ष के उपरांत प्रति वर्ष ५ प्रतिशत की संचयी वृद्धि होनी है।

अनुबंधान्तर्गत एस०टी०पी०, एस०पी०एस०, नाला टैपिंग कार्यों का पर्यवेक्षण जल निगम द्वारा एवं सीवर लाइन से सम्बंधी कार्यों का पर्यवेक्षण जलकल विभाग द्वारा किया जा रहा है।

मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले Projects की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्राविधान अनुबंध में हैः-

1. For System {STP, 2 Crores per annum (subject to annual increase at 5% on Cumulative Basis)} :-  
All Major Replacement projects above **Rs.20 (Twenty) lakhs** exclusive of Contractor labor costs and profit, is subject to Employer approval in accordance with the Agreement.

2. For Collection System {SPS, Nala Tapping, Rising Main, Sewer Line etc., 5 Crores per annum (subject to annual increase at 5% on Cumulative Basis)} :-

All Major Replacement projects above **Rs.50 (Fifty) lakhs** exclusive of Contractor labor costs and profit, is subject to Employer approval in accordance with the Agreement.

उक्त के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / सदस्य सचिव, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के सेक्शन 4, Contract Data के क्रम संख्या-१ के अनुसार Employer निम्नवत् परिभाषित किया गया हैः-

The Employer is Urban Development Department, Govt. of UP, Lucknow through

1. Project Director, State Mission for Clean Ganga-UP.
2. Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam.
3. Municipal Commissioner, Nagar Nigam / Executive Officer, Nagar Palika Parishad (Related)

#### ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा प्रस्ताव / संस्तुति

प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा स्वीकृति की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने व सतत रखरखाव-संचालन हेतु कार्य कराये जाने की शीघ्र आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये उक्त प्रक्रिया को निम्नानुसार कराया जाना प्रस्तावित किया जाता हैः-

##### 1. Major replacement Fund for System (STP)

कार्यों का आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार कर फर्म द्वारा उ०प्र० जल निगम को उपलब्ध कराया जाएगा जिसका तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण जल निगम द्वारा किया जायेगा।

- रु० २०.०० लाख की सीमा तक उक्त प्रस्ताव/आगणन क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- रु० २०.०० लाख से अधिक के प्रस्ताव/आगणन का परीक्षण पी०पी०आर०बी०डी० सेल जल निगम से कराने के पश्चात तकनीकी स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की जाएगी। वित्तीय स्वीकृति प्रबन्ध

२०

निदेशक, उ0प्र0 जल निगम/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम की अध्यक्षता की समिति द्वारा प्रदान की जाएगी। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे।

- |    |   |   |               |
|----|---|---|---------------|
| 1. | प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम                          | - | अध्यक्ष       |
| 2. | मुख्य अभियन्ता, पी०पी०आर०बी०डी०, सेल, उ0प्र0 जल निगम    | - | सदस्य         |
| 3. | क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/मु०अभि०(वि/या), उ0प्र0 जल निगम | - | सदस्य सचिव    |
| 4. | मुख्य अभि०, ओ०ए०ए०ए० एम० सेल, नगरीय निकाय निदेशालय      | - | सदस्य         |
| 5. | कन्सल्टेंट, ओ०ए०ए०ए० एम० सेल, नगरीय निकाय निदेशालय      | - | विशेष आमंत्री |
2. Major replacement Fund for Collection System (Sewer line & SPS / MPS)

उक्त से संबंधित आवश्यक कार्यों का कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 जल निगम के अभियन्ताओं एवं संबंधित जलकल के अभियन्ताओं द्वारा कार्य की आवश्यकता का आंकलन/संयुक्त सर्व कर नगर निगम हेतु प्रस्ताव संबंधित नगर आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा एवं नगर आयुक्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त कार्यों का प्रस्ताव संबंधित मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम को आगणन तैयार करने व तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा। नगर पालिका की स्थिति में संबंधित अधिशासी अधिकारी/क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।

- रु० ५०.०० लाख की सीमा तक के प्रस्ताव/आगणन की तकनीकी स्वीकृति क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रदान की जायेगी एवं इस पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रकरण नगर आयुक्त, नगर निगम को प्रेषित की जायेगी। नगर पालिका परिषद के प्रकरण में वित्तीय स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रदान की जायेगी।
- रु० ५०.०० लाख से अधिक के प्रस्ताव/आगणन की तकनीकी स्वीकृति क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा पी०पी०आर०बी०डी० सेल, उ0प्र0 जल निगम के परीक्षणोंपरान्त प्रदान की जाएगी। वित्तीय स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे।
 

1.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम	-	अध्यक्ष
2.	मुख्य अभियन्ता, पी०पी०आर०बी०डी०, सेल, उ0प्र0 जल निगम	-	सदस्य
3.	क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/मु०अभि० (वि/या), उ0प्र0 जल निगम	-	सदस्य सचिव
4.	संबंधित नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल/अधि०अधिकारी, नगर पालिका परिषद	-	सदस्य
5.	मुख्य अभि०, ओ०ए०ए०ए० एम० सेल, नगरीय निकाय निदेशालय	-	सदस्य
6.	कन्सल्टेंट, ओ०ए०ए०ए० एम० सेल, नगरीय निकाय निदेशालय	-	विशेष आमंत्री

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की संस्तुति मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०ए०ए०ए० एम० सेल द्वारा की जाती है।

**समिति का निर्णय:**— मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०ए०ए०ए० एम० सेल द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।  
**(कार्यवाही—** प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम/संबंधित नगर निगम/महाप्रबन्धक जलकल/अधि०अधिकारी)

**एजेण्डा (xiii), एजेण्डा (xiv) एवं एजेण्डा (xv)** पर अपर मुख्य सचिव/अध्यक्ष महोदय द्वारा समयाभाव के कारण प्रकरण पर विचार नहीं किया गया एवं अगामी बैठक में समिलित किये जाने का निर्देश दिये गये।

अपर मुख्य सचिव महोदय, अध्यक्ष द्वारा बैठक में दिये गये अन्य बिन्दुओं पर निर्देश —

1. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, अयोध्या से प्रारंभ से अब तक विद्युत बिलों को नहीं प्रेषित किये जाने का कारण पूछते हुये उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।  
 सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रदान की गयी सेवाएं एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल संबंधित महाप्रबन्धक सीधे ओ०ए०ए०ए० एम० सेल को प्रेषित किये जाते हैं। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि समस्त बिल संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम क माध्यम से किये जायें जिससे क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का भी दायित्व हो सके कि समस्त बिल समय पर प्रेषित होते रहें।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि UP Electricity Regulatory Commission (UPERC) Supply Code, 2005 Clause 3.5 & Tariff order FY 2020-21 regulation के अनुसार किसी भी उपभोगता के

21

स्तर पर अधिष्ठापित यंत्र-संयंत्र का पावर फैक्टर न्यूनतम 0.90 होना चाहिए। पावर फैक्टर 0.75 से कम होने पर नियमावली के अनुसार विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 जल निगम द्वारा स्थापित सीवेज शोधन संयंत्र एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशनों पर पावर फैक्टर का पर्यवेक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाये जिससे किसी भी परिस्थिति पर लो-पावर फैक्टर के कारण विद्युत विच्छेदन से बचा जा सके। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 जल निगम द्वारा वन सिटी वन ऑपरेटर से पहले व बाद के विद्युत देयताओं बिलों का तुलनात्मक व विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही— उ0प्र0 जल निगम)

2. बैठक में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा सुझाव दिया गया कि अगली बैठक में प्राप्त बिलों के सापेक्ष ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा जो भी कटौतियाँ की जाती हैं उनका विवरण भी प्रस्तुतीकरण में सम्मिलित किया जाए। इस पर अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा तदानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।  
**(कार्यवाही— सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल)**
3. वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्मों द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं एवं करायें गये कार्यों के सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम द्वारा पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल प्रतिमाह ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल को प्रेषित किये जाएं। प्राप्त बिलों के भुगतान एवं बिल सेप्लमेन्ट की संस्तुति हेतु समिति की बैठक Alternate Months में आयोजित की जाए। मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के सापेक्ष भुगतान एस्को एकाउंट से करने हेतु बैठक प्रत्येक माह किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके पूर्व मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से कराये जाने वाले कार्यों एवं सामान्य नियमित रखरखाव/अनुरक्षण के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों को चिन्हित करने के निर्देश दिये गये। इस प्रकार कराये जाने वाले कार्यों को चिन्हित करने तथा उसकी सूची तैयार करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम की अध्यक्षता में बैठक कराकर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये। निर्देश दिये गये कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित में कर ली जाये जिसमें निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ, मुख्य अभियन्ता (ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल), अधिभी (ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल) तथा कंस्लेन्ट, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

(कार्यवाही— उ0प्र0 जल निगम एवं सदस्य सचिव ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल)

4. प्रत्येक पैकेज में सीवर नेटवर्क का विस्तृत निरीक्षण कराकर यह सुनिश्चित किया जाये कि सीवर पाइप लाइन से लीकेज कदापि न हो। जहाँ-जहाँ सीवर लाइन एवं जलापूर्ति की लाइन साथ-साथ चल रही है, वहाँ किसी भी दशा में सीवर लीकेज/ओवर फ्लो न हो, यह सुनिश्चित कराया जाये। लीकेज के कारण जलजनित महामारी फैलने का खतरा हो जाता है, जो बिल्कुल ही ग्राहय नहीं है। इसके लिये जो भी सुधारात्मक कार्य किया जाना हो उसका विवरण तैयार कर आगणन बनाकर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त शीघ्र प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही— उ0प्र0 जल निगम/संबंधित नगर निगम/जलकल/नगर पालिका परिषद एवं फर्म)

5. समस्त जोन हेतु निर्देश दिये गये कि एस0टी0पी0 की मूल डिजाइन में Fecal coliform हेतु जो भी मानक निर्धारित है उसके अनुसार ही ट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट में Fecal coliform सुनिश्चित किया जाये। यह कार्यवाही तुरंत सुनिश्चित करायी जाये। इसके अतिरिक्त Fecal coliform को कम करने हेतु सुधारात्मक कार्य अवश्य कराये जायें।  
**(कार्यवाही— उ0प्र0 जल निगम, यू0पी0पी0सी0बी0 एवं संबंधित फर्म)**
6. गाजियाबाद जोन के अन्तर्गत रामपुर एस0टी0पी0 एवं संबंधित सीवरेज नेटवर्क का विस्तृत निरीक्षण करा लिया जाये। यदि इस एस0टी0पी0 अथवा सीवरेज नेटवर्क में गुणात्मक सुधार हेतु Major replacement Fund के अन्तर्गत कार्य कराया जाना आवश्यक हो तो इसका डी0पी0आर0 गठित कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तुत किया जाये, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही— उ0प्र0 जल निगम एवं संबंधित फर्म)

7. गाजियाबाद जोन के अन्तर्गत मोदीनगर में नवनिर्मित 20 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 को वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।  
**(कार्यवाही—उ0प्र0 जल निगम)**

8. गाजियाबाद जोन हेतु महाप्रबन्धक, जलकल गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स VA Tech Wabag द्वारा सीवर की सफाई आवश्यकतानुरूप नहीं की जा रही है जिस पर यह निर्देश दिया गया कि फर्म द्वारा समुचित व्यवस्था कराते हुये सीवर की सफाई करायें जिससे सीवर ओवर फ्लो की समस्या उत्पन्न न हो।

(कार्यवाही—संबंधित नगर आयुक्त/संबंधित महाप्रबन्धक, जलकल/संबंधित फर्म)

9. गाजियाबाद जोन हेतु निर्देश दिया गया कि अनुबंध अंतर्गत एस0टी0पी0 पर वांछित डिजाईन श्राव लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। (कार्यवाही—उ0प्र0 जल निगम एवं संबंधित फर्म)
10. गोरखपुर जोन के अन्तर्गत सामान्यता पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल विलम्ब से प्राप्त होते हैं। इस पर फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रीटेड सीवेज की—थर्ड पार्टी (UPPCB) से टेस्ट रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होती है जिसके कारण प्रायः विलम्ब से बिल प्रस्तुत हो पाता है। बैठक में उपस्थित यू0पी0पी0सी0बी0 के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि क्षेत्रीय अधिकारी, यू0पी0पी0सी0बी0 गोरखपुर से इस संबंध में निर्देश दे दें एवं यह सुनिश्चित करायें कि भविष्य में टेस्ट रिपोर्ट निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त हो जाया करे। (कार्यवाही— यू0पी0पी0सी0बी0)
11. उ0प्र0 जल निगम के अभियन्ताओं द्वारा एस0पी0एस0 व एस0टी0पी0 का समुचित अनुश्रवण किया जाये एवं पूर्व के बैठकों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। (कार्यवाही—उ0प्र0 जल निगम)

शासनादेश संख्या—849 / नौ—9—19—89ज/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं शासनादेश संख्या—2748 / नौ—9—20—89ज/2001 दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरीक्षित बजट रु 350 करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी है जिसके सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम को उक्त धनराशि रु0 **138,92,61,496.10/-** (रु0 एक सौ अठ्ठीस करोड़ बानवे लाख इक्सठ हजार चार सौ छियानवे व पैसे दस मात्र) आवंटित की जा सकती है।

*2020-2021*  
सदस्य—सचिव

मुख्य अभियन्ता,  
उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत)  
अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश

सदस्य

उप/सहायक निदेशक, लेखा,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उ0प्र0, लखनऊ

for  
Meeting

सदस्य—सचिव  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ

*सदस्य*

निदेशक नगरीय निकाय  
निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ

*सदस्य*

प्रबन्ध निदेशक,  
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

*अध्यक्ष*

अपर प्रमुख सचिव,  
नगर विकास विभाग, उ0प्र0  
शासन